वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सं.:5-1(11)/2008-पीडी

Dated 23.02.2023

प्रेषक: संयुक्त सचिव (प्रशा.)

सेवा में: सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/ संस्थानों /इकाइयों के निदेशक/प्रमुख

विषय: जहां प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक या संयुक्त सचिव(प्रशा.) सीएसआईआर नियुक्ति प्राधिकारी हैं, वहां आइसोलेटेड श्रेणियों के तहत विभिन्न पदों हेतु चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति के गठन-विषयक

महोदय/महोदया,

सीएसआईआर के दिनांक 25.07.2007, 26.07.2010 के अधिक्रमण में और सीएसआईआर के दिनांक 11.11.2019 और 07.07.2020 के पत्रानुक्रम में, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासी निकाय, सीएसआईआर ने दिनांक 17.12.2022 को आयोजित अपनी 200वीं बैठक में जहां प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक या संयुक्त सचिव(प्रशा.) सीएसआईआर नियुक्ति प्राधिकारी हैं, वहां आइसोलेटेड श्रेणियों के तहत विभिन्न पदों हेतु चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति का गठन निम्नानुसार किए जाने का अनुमोदन किया है:

क. आइसोलेटेड श्रेणी के अंतर्गत समूह क पदों हेतु चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति का गठन

निदेशक का नामिती [मुख्यालय के मामले में संयुक्त सचिव (प्रशा.)] वेतन स्तर 13-ए से नीचे का न हो	अध्यक्ष
सीएसआईआर मुख्यालय या संबद्ध प्रयोगशाला/संस्थान के वरिष्ठ उप सचिव/वरि. प्रशा. नियंत्रक/उप सचिव/प्रशासन नियंत्रक	सदस्य
संबंधित प्रयोगशाला/संस्थान के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक* [मुख्यालय के मामले में वरि. उप सचिव/उप सचिव (के.का.)]	सदस्य (पदेन)
संबंधित प्रयोगशाला/संस्थान के वरि. वित्त एवं लेखा नियंत्रक/वित्त एवं लेखा नियंत्रक* [मुख्यालय के मामले में वरि. उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार (लेखा परीक्षा)]	सदस्य (पदेन)
केंद्र/राज्य सरकार के बाहरी विशेषज्ञ (इसके सांविधिक निकाय/स्वायत्त निकाय/पीएसयू सहित)	सदस्य

* संबंधित प्रयोगशाला/संस्थानों में वरि. प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक या वरि. वित्त एवं लेखा नियंत्रक/वित्त एवं लेखा नियंत्रक तैनात न होने या समिति के किसी पदेन सदस्य द्वारा मना करने की स्थिति में, सीएसआईआर मुख्यालय या संबद्ध प्रयोगशाला/संस्थान से वरि. उप सचिव/वरि. प्रशासन नियंत्रक/उप सचिव/प्रशा. नियंत्रक या वरि. उप सचिव/वरि. वित्त एवं लेखा नियंत्रक/उप वित्त सलाहकार/ वित्त एवं लेखा नियंत्रक को नामित किया जा सकता है ।

कोरम: अध्यक्ष, बाहरी विशेषज्ञ और एक अन्य सदस्य

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788
Website : http://www.csir.res.in

ख. आइसोलेटेड श्रेणी के अंतर्गत समूह ख एवं समूह ग पदों हेतु चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति का गठन ।

निदेशक का नामिती [मुख्यालय के मामले में संयुक्त सचिव (प्रशा.)] वेतन स्तर 13 से नीचे का न हो	अध्यक्ष
सीएसआईआर मुख्यालय या संबद्ध प्रयोगशाला/संस्थान के वरिष्ठ उप सचिव/वरि. प्रशा. नियंत्रक/उप सचिव/प्रशासन नियंत्रक/अवर सचिव/प्रशासन अधिकारी	सदस्य
संबंधित प्रयोगशाला/संस्थान के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी* [मुख्यालय के मामले में वरि. उप सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (के.का.)]	सदस्य (पदेन)
संबंधित प्रयोगशाला/संस्थान के वरि. वित एवं लेखा नियंत्रक/वित्त एवं लेखा नियंत्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी* [मुख्यालय के मामले में वरि. उप वित सलाहकार/उप वित सलाहकार/ वित्त एवं लेखाधिकारी (लेखा परीक्षा)]	सदस्य (पदेन)
केंद्र/राज्य सरकार के बाहरी विशेषज्ञ (इसके सांविधिक निकाय/स्वायत निकाय/पीएसयू सहित)	सदस्य

* प्रयोगशाला/संस्थानों में वरि. प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी या वरि. वित एवं लेखा नियंत्रक/वित एवं लेखा नियंत्रक/ वित्त एवं लेखाधिकारी तैनात न होने या समिति के किसी पदेन सदस्य द्वारा मना करने की स्थिति में, सीएसआईआर मुख्यालय या संबद्ध प्रयोगशाला/संस्थान से वरि. उप सचिव/वरि. प्रशासन नियंत्रक/उप सचिव/प्रशा. नियंत्रक/अवर सचिव/प्रशासन अधिकारी या वरि. उप सचिव/वरि. वित्त एवं लेखा नियंत्रक/उप वित सलाहकार/ वित्त एवं लेखा नियंत्रक/वित एवं लेखा अधिकारी को नामित किया जा सकता है

कोरम: अध्यक्ष, बाहरी विशेषज्ञ और एक अन्य सदस्य।

नोट-I: आइसोलेटेड श्रेणी के तहत पदों पर भर्ती के लिए चयन समिति के गठन के लिए भारत सरकार द्वारा चयन समिति पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं आदि के प्रतिनिधित्व के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

नोट-II: जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार/उम्मीदवारों की पदोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है, वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि को विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा ।

नोट-III: चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य समूह-क स्तर के अधिकारी होंगे और जिस पद के लिए चयन/पदोन्नति की जानी है उससे कम से कम एक स्तर ऊपर होंगे।

2. इसके अलावा, शासी निकाय, सीएसआईआर ने अपनी पूर्वोक्त बैठक में सीएसआईआर के दिनांक 21.12.2005 के पत्र संख्या 7-3(7)/ 2004-आर एंड ए द्वारा अधिसूचित गेस्ट हाउस अटेंडेंट के पद हेतु भर्ती नियमावली के नियम 9 में चयन समिति के गठन को उपरोक्त पैरा 'ख' की तालिका के अनुसार समूह 'ग' के लिए चयन समिति के गठन के अनुसार संशोधन किए जाने को भी मंजूरी दे दी है ।

3. इसे सूचना, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

भवदीय,

23/03/2023

(एम अरुण मणिकण्ड भारति)
अवर सचिव (नीति प्रभाग)

संलग्नक: यथोपरि

प्रतिलिपि:

1. सीएसआईआर की वेबसाइट
2. कार्यालय प्रति